कस्तूरी बाई / बाबूलाल 2022/170

अपी. अपीलार्थी
डी.आर.सी.फ़ाइल

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19-10-22 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट को रूक रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई। फिर भी उनके द्वारा कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंटगण की तामील आदिनांक तक नहीं करवाई गई है। अत: पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

महोदय कोटा केम्प बारां

कस्तूरीबाई आयु 62 वर्ष पुत्री मांगीलाल सहरिया पत्नी गंगाराम जाति सहरिया निवासी घट्टी तहसील किशनगंज जिला बारां —— अपीलांटा

बनाम

1— बाबूलाल पुत्र भैरूलाल जाति ओढ निवासी परानियां तहसील किशनगंज जिलाबारांराज0

2— राज0सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज ———— रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट

विरूद्ध न्यायालयउपखण्ड अधिकारी किशनगंज

निर्णय व डिकी दिनांक 7—2—2019 प्रकरण सं0 96 / 2011बउनवान बाबूलाल बनाम मांगीलाल अन्तर्गत धारा 63(4) 88,89, 188 आरटी एक्ट

महोदय

अपीलांट निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत करती है—

1— यहकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना वविधि विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 7—2—2019 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2— यहकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मांगीलाल कादेहान्त होने के बावजूद मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिकी पारित की गई है जबकि मागीलाल